## MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani Advocate Bombay High Court. Specialist in Multi Media Law and Regulation/ Corporate Law and Regulation and Taxation.



## मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेखकः अशोक मनसुखानी एडवोकेट वॉम्वे हाई कोर्ट मल्टी मीडिया कानून और रेग्यूलेशन/कॉरपोरेट कानून और रेग्यूलेशन और टैक्सेशन के विशेषन ।

## MEDIA MUSINGS

## A Potpourri of Latest Media Developments

### A. SMOOTH ZEE SONY CCI / SHAREHOLDER MERGER APPROVAL

- 1. Two key approvals streamlined the long-awaited regulatory approvals for the merger of **Zee** with **Sony** (now **Culver Pictures**).
- A detailed press release issued by the Competition Commission of India dated 04.10.2022 gave qualified approval to the original proposal for approval of the proposed merger, stating:
  - The proposed combination is in the nature of acquisition and amalgamation and falls under Sections 5(a) and 5(c) of the Competition Act, 2002.
  - ❖ The Commission approved the proposed combination subject to the carrying out of

modifications
proposed by the
parties under
Regulation 25(1) of
the Competition
Commission of India
(Procedure in regard
to the transaction of
business relating to



combinations) Regulations, 2011.

- 3. The detailed order dated 04.10.2022 issued post-Diwali (after the Chairman retired) runs to 58 pages, including annexures. The key directory paragraph states in Para 88:
  - Considering the material on record..., and factors provided under sub-section (4) of Section
     20 of the Act, the Commission is of the opinion

# मीडिया चिंतन

## नवीनतम मीडिया विकास का एक मिश्रण

- ए. जी सोनी सीसीआई /शेयरहोल्डर विलय को शांतिपूर्वक मंजूरी
- 1. दो प्रमुख स्वीकृतियों ने जी के सोनी (अब कल्वर पिक्चर्स) के साथ विलय के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित विनियामक अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया।
- 2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिनांक 04.10.2022 को जारी एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति ने प्रस्तावित विलय के अनुमोदन के लिए मूल प्रस्ताव को *योग्य स्वीकृति* प्रदान की, जिसमें कहा गया है किः
  - ❖ प्रस्तावित संयोजन, अधिग्रहण और समामेलन की प्रकृति में है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5 (ए) और 5 (सी) के अंतर्गत आता है।
  - आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में

प्रक्रिया) विनियम, 2011 के विनियम 25 (1) के तहत पार्टियों हारा प्रस्तावित संशोधनों को पूरा करने के अधीन प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी वी।


3. दीवाली के बाद (अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद) दिनांक

**04.10.2022** को विस्तृत आदेश जारी किया जायेगा जो अनुलग्नक समेत **58 पेज** तक चलता है। मुख्य निर्देशिका अनुच्छेद **पैरा 88** में बताता है:


अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के तहत उपलब्ध करायी गयी सामग्री...और कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग की राय है कि पार्टियों द्वारा

that the composite voluntary remedy proposed by the Parties under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations addresses the prima facie concerns of a likely appreciable adverse effect on competition (AAEC) as laid down in the Show Cause Notice and the Commission

decided not to further proceed with the investigation.



Notifying Parties under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations, vide submission dated October 4, 2022.



5. In another significant development, the shareholders of Zee Entertainment overwhelmingly voted in favour of the merger at an EGM directed to be held by the National Company Law Tribunal as part of the approval process. Over 99% of shareholders voted in favour.

#### COMMENT

- ◆ If all goes well (no further hiccups are expected), the merger should be consummated before March 31, 2023. This will lead to a significant consolidation of the Broadcasting Industry into two very strong giants-Disney-Star and Zee-Sony.
- ◆ This writer would love to see a similar consolidation happening in the Distribution Sector, which is currently highly fragmented and, even with over 1800 registered Multi System Operators and four functioning DTH networks, is not economically viable.
- One critical data which needs to be tracked is how many of the 1800 MSOs are yet to set up digital networks.
- ◆ The problems Dish TV are too well known to bear repetition. It needs to merge with another DTH network to survive.
- ◆ Time will tell whether any consolidation is possible.

प्रस्तावित समग्र स्वैष्ठिक उपाय, संयोजन के विनियमों के विनियम 25 (1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस में निर्धारित प्रतियोगिता (एएईसी) पर संभावित प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव की प्रथम दृष्ट्या चिंताओं को संबोधित किया गया है और आयोग ने जांच आगे नहीं

बढ़ाने का फैसला किया है।

ॐ आयोग इसके द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तावित संयोजन की मंजूरी देता है, संयोजन विनियमों के विनियम 25 (ए) के तहत अधिसूचित करने वाले पक्षों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के अनुपालन

के अधीन, दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत किया गया।

- 4. आदेश के अनुलग्नक से पता चलता है कि दोनों पक्षों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के कारण बताओ नोटिस में उठाये गये 'प्रतिस्पर्धी विरोधी चिंताओं को दूर करने' के लिए तीन हिंदी चैनलों, बिग मैजिक, जी एक्सन और जी क्लासिक का स्वेच्छा से बेचने पर सहमत हुए।
- 5. एक और महत्वपूर्ण विकास में, जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों ने अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित ईजीएम में विलय के पक्ष में भारी मतदान किया। 99% से अधिक शेयरधारकों ने पक्ष में मतदान किया।

#### टिप्पणी

Competition Commission of India

- अगर सब कुछ ठीक (आगे कोई रूकावट आने की उम्मीद नहीं है) रहा तो विलय को 31 मार्च 2023 से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।इससे प्रसारण उद्योग के दो बहुत मजबूत दिग्गज, डिज्नी-स्टार और जी-सोनी में एक महत्वपूर्ण एकीकरण होगा।
- यह लेखक वितरण क्षेत्र में एक समान समेकन को देखना पसंद करेगा, जो वर्तमान अत्यधिक खंडित है और यहां तक कि 1800 से अधिक पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और चार कार्यशील डीटीएच नेटवर्क के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- एक महत्वपूर्ण डेटा जिसे ट्रैक करने की आवश्यकता है वह यह है कि 1800 एमएसओं में से कितने अभी तक डिजिटल नेटवर्क स्थापित नहीं कर पाये हैं।
- समस्यायें डिश टीवी इतनी अच्छी तरह से जानी जाती है कि उन्हें दोहराय नहीं जा सकता है।इसे जीवित रहने के लिए दूसरे डीटीएच नेटवर्क के साथ विलय करने की आवश्यकता है।
- ◆ समय बतायेगा कि क्या कोई समेकन संभव है।

# B. STATE GOVERNMENT CHANNELS BANNED BY MIB

- The Central Government invoking powers under the Allocation of Business Rules, issued an Advisory on October 21, 2022, directing Union Ministries and State Governments not to enter into any broadcasting or distribution of broadcasting activities directly except through Prasar Bharati. It also asked entities distributing the broadcasting content to "extract themselves" from it by December 31, 2023.
- 2. The Ministry stated that Entry No. 31 in List I (Union List) of the Seventh Schedule to the Constitution of India covers "posts and telegraphs, telephones, wireless, broadcasting and other forms of communication". Only the Central Government, as per Article 246 of the Constitution, can legislate on such subjects, the Advisory said.
- 3. "No Ministry/Department of the Central Government and State/UT Governments and entities related to them shall enter into **broadcasting/distribution** of broadcasting activities in future,"
- 4. In case Ministries of Central Government, State/UT Government and entities related to them are already distributing the broadcasting content; they will be required to extract themselves from the distribution activities."



Ministry of Information and Broadcasting

- 5. In issuing the Advisory, MIB conveniently utilised the TRAI recommendations of 2012 and later communications wherein TRAI had recommended that the Central and State Governments should not be allowed to enter the broadcasting business.
- 6. MIB also relied on Supreme Court observations and Law Ministry approval.
- 7. The existing operational broadcasts in respect of some of the Central Government ministries and departments and some State Governments have already been brought under the ambit of **Prasar Bharati** through a **Memorandum of Understanding** to ensure the continuity of such societal initiatives, said MIB.
- 8. It advised that the entry of Central and State governments into the business of broadcast for educational purposes should be done through suitable agreements between Prasar Bharati and the concerned governments.

32

# बी. राज्य सरकार के चैनल एमआईबी द्वारा प्रतिबंधित

- 1. केंद्र सरकार ने व्यवसाय नियमों के आवंटन के तहत शक्तियों का आहवान करते हुए 21 अक्टूबर 2022 को जारी एडवाइजरी, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को प्रसार भारती के अलावा सीधे सीधे प्रसारण गतिविधियों के किसी भी प्रसारण या वितरण में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है। इसने 31 दिसंबर 2023 तक प्रसारण सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं से 'खुद को निकालने' के लिए भी कहा है।
- 2. मंत्रालय ने कहा है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) में प्रवृष्टि संख्या 31 में 'डाक और तार, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य रूप' शामिल हैं।एडवाइजरी में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केवल केंद्र सरकार ही ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं।
- 3. केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय/विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और उनसे संबंधित संस्थायें भविष्य में प्रसारण गतिविधियों के प्रसारण/वितरण में प्रवेश नहीं करेंगी।'
  - 4. ऐसे मामले में, केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और उनसे संबंधित संस्थायें पहले से ही प्रसारण सामग्री वितरित कर रही हैं, उन्हें वितरण गतिविधियों से खुद को निकालने की आवश्यकता होगा।
  - 5. एडवइजरी जारी करने में, **एमआईबी** ने आसानी से **2012** की **ट्राई** की सिफारिशों और वाद में संचार का उपयोग किया जिसमें **ट्राई** ने सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को *प्रसारण व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।*
- **6.** एमआईबी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और कानून मंत्रालय की मंजुरी पर भी भरोसा किया।
- 7. केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों और विभागों और कुछ राज्य सरकार के संबंध में मौजूदा परिचालन प्रसारण को पहले से ही इस तरह की सामाजिक पहल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रसार भारती के दायरे में लाया गया है। यह बात एमआईबी ने कही।
- 8. इसने सलाह दी कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रसारण के व्यवसाय में केंद्र और राज्य सरकार का प्रवेश प्रसार भारती और संबंधित सरकारों के वीच उपयुक्त समझौतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

#### **COMMENT**

This writer feels that the Advisory has clear political objectives with an eye to the forthcoming state elections and the General Elections. Channels in Kerala/Telangana and Tamil Nadu will undoubtedly be affected. Routing of these channels through Prasar Bharati has no regulatory standing either. Whether the opposition rules states will challenge the Advisory will be soon known.

# C. BROADCASTERS NEED NOT SHARE OTT DATA WITH TRAI

- There have been complaints to TRAI about "preferential deals" on live, linear programming made by Broadcasters to their own and third-party OTT platforms.
- Based on these complaints, TRAI concluded that the Broadcasters were supplying signals of linear channels to OTT platforms, circumventing Clause 5.6 of the Uplinking and Downlinking guidelines for TV channels.
- 3. This clause stipulates that Broadcasters shall provide satellite TV signals to registered Multi-System Operators and Cable Operators, Direct-to-Home players, and Internet Protocol TV service providers.
- 4. In 2021, TRAI directed the Broadcasters to provide data/ information on content made available on their OTT platforms and third-party applications.

  TRAI also directed the Broadcasters to provide a detailed architecture indicating the media used to deliver linear content to their third-party streaming platforms.

33

- 5. They filed appeals in TDSAT, challenging **TRAI's** directive on the matter. Initially, the **TRAI** direction was stayed by TDSAT, but on **20.09.2022**, the Broadcasters were directed to supply the requisite data/information to TRAI.
- The Broadcasters filed an appeal in the Delhi HC, which, in an interim order in WP Civil 14039/22,

### टिप्पणी

इस लेखक को लगता है कि आगामी राज्य चुनावों और आमचुनावों को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी के स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य हैं। केरल/तेलंगाना और तमिलनाडु में चैनल निःसंदेह प्रभावित होंगे। प्रसार भारती के माध्यम से इन चैनलों की रूटिंग कोई नियामक स्थिति भी नहीं है। क्या विपक्ष द्वारा संचालित राज्य इस एडवाइजरी को चुनौती देंगे, यह जल्द ही पता लगेगा।

## सी. प्रसारणकर्ताओं को ट्राई के साथ ओटीटी डेटा साझा करने की आवश्यकता नहीं है

- प्रसारकों द्वारा अपने और तीसरे पक्ष के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव, लीनियर प्रोग्रामिंग पर 'तरजीह सौदों' के बारे में ट्राई को शिकायत मिली है।
  - 2. इन शिकायतों के आधार पर, ट्राई ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रसारक टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के खंड 5.6 को दरिकनार करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म को लीनियर चैनलों के सिगनल की आपूर्ति कर रहे थे।
  - 3. यह क्लॉज यह निर्धारित करता है कि प्रसारक पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और केवल ऑपरेटरों, डॉयरेक्ट-टू-होम खिलाड़ियों और इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी

सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट टीवी सिगनल प्रदान करेंगे।

- 4. 2021 में टूर्ड ने प्रसारकों को उनके ओटीटी प्लेटफॉर्मों और थर्ड पार्टी एप्लिकेशन पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री पर डेटा/सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। ट्राई ने प्रसारकों को एक विस्तृत आर्किटेक्चर प्रदान करने का निर्देश दिया, जो यह दर्शाता है कि मीडिया अपने तीसरे पक्ष के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लीनियर सामग्री वितरित करता है।
- 5. उन्होंने इस मामले पर **ट्राई** के निर्देशों को चुनौती देते हुए टीडीसैट में अपील दायर की । प्रारंभ में, टीडीसैट द्वारा **ट्राई** के निर्देशों पर रोक लगा दी गयी थी, लेकिन **29.09.2022** को प्रसारकों को ट्राई को अपेक्षित डेटा/सूचना की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।
- 6. प्रसारकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की,



TRAI सत्यमेव जयते

Telecom Regulatory Authority of India (IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

stayed the TDSAT direction of **20.09 2022** and all proceedings in the TDSAT till the next hearing date on **03.03.2023**.

- 7. The order dated **28.09.2022** states
  - "Prima facie, the Court finds itself unable to sustain the order of September 20, 2022, by TDSAT"."
  - \* "The Court also notes that the issue of applicability of the Information Technology Rules, 2021, to OTT platforms and the regulation of those platforms is a matter pending consideration before the Supreme Court.
  - \* This matter requires consideration,"


#### COMMENT

- ◆ The Broadcasters have temporarily stymied TRAI's efforts to collect data on the manner/mode and commercial nature of live, linear content in apparent violation of downlinking and uplinking regulations.
- ◆ Though the HC has issued TRAI notice to respond to the petition, MIB needs to intervene and assert its policy rights because **Downlinking** and **Uplinking** regulations come within the purview of MIB and not MEITY, even under the amended Allocation of Business Rules of November 2020.

# D. SURPRISING CAG AUDIT OF DTH PROVIDERS

1. A report in the **Economic Times** has created ripples in the TV distribution sector. In a report dated

26.10.2022, Government has asked the Comptroller and Auditor General of India to conduct a special audit of the revenues of all six DTH licensees even though, at present, only four are operational. These are Tata Sky/Dish TV/Sun Direct Airtel Digital TV (all active), Big TV/Independent TV, and Videocon D2H (both in-operational).



जिसने **डब्लूपी सिविल 14039/22** में एक अंतरिम आदेश में **20.09.2022** के टीडीसैट निर्देश और टीडीसैट में सभी कार्य वाही को अगली सुनवाई **03.03.2023** तक रोक लगा दी।

- 7. दिनांक 28.09.2022 का आदेश बताता है कि
  - 'प्रथम दृष्टया, न्यायालय टीडीसेट द्वारा 20 सितंबर 2022 के आदेश को बनाये रखने में खुद को असमर्थ पाता है।'
  - 'न्यायालय यह भी नोट करता है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की ओटीटी प्लेटफॉर्मो पर प्रयोज्यता और उन प्लेटफॉर्मो के विनियम का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामला है।'
  - 'इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।'


#### टिप्पणी

- प्रसारकों ने डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में लाइव, लीनियर कंटेंट के तरीके/मोड और वाणिज्यिक प्रकृति पर डेटा एकत्र करने के ट्राई के प्रयासों को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
- ♦ हालांकि एचसी ने याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए ट्राई को नोटिस जारी किया है, एमआईवी को हस्तक्षेप करने और अपने नीतिगत अधिकारों का दावा करने की आवश्यकता है क्योंकि डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग नियम नवंबर 2020 के संशोधित व्यावसायिक आवंटन नियमों के तहत भी एमआईवी के दायरे में आता है, न कि एमईआईटीवाई के।

## डी. डीटीएच प्रदाताओं का आश्चर्यजनक सीएजी ऑडिट

1. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ने टीवी वितरण क्षेत्र में हलचल

मचा दी है। 26.10.2022 की एक रिपोर्ट में, सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सभी छह डीटीएच लाइसेंसधारियों के राजस्व का विशेष ऑडिट करने के लिए कहा है, हालांकि वर्तमान में केवल चार ही चालू हैं। ये है टाटा स्काई/डिश टीवी/सन डॉयरेक्ट/एयरटेल डिजिटल टीवी (सभी सिकेय), बिग टीवी/इंडिपेंडेंट टीवी और वीडियोकॉन डी2एच (दोनों चालू है)।



34 SATELLITE & CABLE TV NOVEMBER 2022

**Comptroller and Auditor General (CAG)** 

### **MEDIA BEAT**

of all DTH service providers going back to their year of inception or grant of licence by the Government. The move is over *suspected discrepancies* in revenue calculation by DTH service providers.

This follows demands by DTH Networks to reduce licence charges due to the loss of subscribers and keep the industry competitive.



प्रदाताओं की स्थापना के वर्ष या सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक गहन ऑडिट करने के लिए कहा है। यह कदम डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व गणना में **संदिग्ध विसंगतियों** को लेकर उठाया गया है।

3. यह डीटीएच नेटवर्क द्वारा ग्राहकों के नुकसान के कारण लाइसेंस शुल्क को कम करने और उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने की मांग का पालन करता है।

#### COMMENT

This is the first time the Government has asked for such an audit of all six DTH licensees. The Cable Industry has often been targeted for so-called subscriber undeclaration, even in the Digital Addressable Era. Still, it is no comfort to this writer that the Government has directed a special audit from the inception of all six DTH networks. This displays distrust of the organised Distribution Sector, which needs correction.

# E. REVOLUTIONARY TATA PLAY OTT APP LAUNCHED

- In mid-October 2022, the Tata Play CEO, Mr Harit Nagpal, announced that "content from across 17 OTT providers + Gaming is available to all subscribers through a unified interface at INR59 a month. This makes entertainment easy for consumers while increasing the subscription footprint for OTT partners."
- Tata Play has also started offering its OTT entertainment app, Tata Play Binge, to all smartphone users without requiring a DTH subscription.
- 3. Users can play games or watch movies, TV shows, original web series, and live sports under a single app in 12 languages.

### टिप्पणी

यह पहली बार है जब सरकार ने सभी छह डीटीएच लाइसेंसधारियों के इस तरह के ऑडिट के लिए कहा है। डिजिटल एड्रेसेबल युग में भी केबल उद्योग को अक्सर तथाकथित ग्राहक घोषणा के लिए लक्षित किया गया है। फिर भी, इस लेखक के लिए कोई सुकून की बात नहीं है कि सरकार ने सभी छह डीटीएच नेटवर्कों की स्थापना के बाद से एक विशेष ऑडिट का निर्देश दिया है। यह संगठित वितरण क्षेत्र के प्रति अविश्वास को प्रदर्शित करता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

## ह. क्रांतिकारी टाटा प्ले ओटीटी ऐप लॉन्च

'अक्टूबर 2022 के मध्य में, टाटा प्ले के सीईओ श्री हरित नागपाल ने घोषणा की कि '17 ओटीटी प्रदाताओं प्लस गेमिंग से सामग्री सभी ग्राहकों के लिए एक एकीकृत इंटरफेस के माध्यम 59 रूपये प्रतिमाह पर उपलब्ध है।यह ओटीटी भागीदारों के लिए सब्सक्रीप्शन फुटप्रिंट को बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन को आसान बनाता है।'

- 2. टाटा प्ले ने अपने ओटीटी मनोरंजन ऐप, टाटा प्ले बिंज को सभी स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए विना डीटीएच सब्सक्रीप्शन के पेश करना शुरू कर दिया है।
- 3. उपयोगकर्ता 12 भाषाओं में एक ही ऐप तहत गेम खेल सकते हैं या मूवी, टीवी शो, मूल वेब सीरिज और लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हैं।

in 12 languages. | 불 |

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY.



35

**ADVERTISE NOW!** 

TATA SKY

Contact: Mob.: +91-7021850198

Tel.: +91-22-6216 5313

Email: scat.sales@nm-india.com

#### COMMENT

- ◆ Tata Play has again taken the lead under its CEO Mr Harit Nagpal's visionary leadership in creating an aggregation platform for OTT applications. It should not be difficult for the top MSOs to emulate Tata Play.
- ◆ Still, the challenge for them is to grab the broadband opportunity before it gets entirely grabbed by the Telecom Cartel of Reliance Jio and Airtel.

# F. NXTDIGITAL LAUNCHES NEW SATELLITE INITIATIVES

- NXTDIGITAL Ltd announced the launch of NXTSkyFi, its broadband-over-satellite (BOS) solution. The launch in Tawang Arunachal Pradesh over Diwali heralded the launch of the satellite broadband service.
- The NXTSkyFi BOS is a "bundled" offering, providing customers access to solutions like interactive education, digital cinema on demand, OTT, TV channels and other online solutions.
- 3. The Company has already 'onboarded' two leading partners, **Tata Studi**, **Jadooz**, besides signing on to leading OTT platforms.
- 4. The Company plans to leverage its vast network of over 10,000 digital service partners and presence in over 4,500 pin codes across India to deliver various solutions from education and healthcare to information and entertainment.

#### COMMENT

- ◆ The new initiatives of the NXTDigital Media Group show a growing realisation of conventional MSOs that they need to offer a vast array of customeroriented services, both legacy and new-age tech, to retail and enterprise consumers to stay relevant in the post-lockdown era.
- ◆ A challenge will be the value-for-money pricing of satellite broadband services, but a new phenomenon is increasing focus on the premiumisation of goods and services. The coming months will show whether this punt works. This writer feels it will. ■

### टिप्पणी

- टाटा प्ले ने अपने सीईओ श्री हरित नागपाल के दूरदर्शी नेतृत्व में ओटीटी आवेदनों के लिए एक एकत्रीकरण प्लेटफॉर्म बनाने में फिर से अग्रणी भूमिका निभायी है।शीर्ष एमएसओ के लिए टाटा प्ले का अनुकरण करना कठिन नहीं होना चाहिए।
- ♦ फिर भी, रिलायंस जियो और एयरटेल के टेलीकॉम कार्टेल द्वारा इसे पूरी तरह से हथियाना उनके लिए चुनौती है।

## एफ. एनएक्सटी डिजिटल लि. ने नयी सैटेलाइट पहल की शुरूआत की

 एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड ने अपने ब्रॉडबैंड-ओवर-सैटेलाइट (बीओएस) समाधान एनएक्सटीस्काईफाई को लॉन्च करने की घोषणा की है।दिवाली पर तवांग अरूणाचल

> प्रदेश में किये गये लॉन्च ने सैटेलाइट ब्रॉडवैंड सेवा के शुभारंभ की घोषणा की गयी।

- 2. एनएक्सटीस्काईफाई बीओएस एक 'बंडल' पेशकश है, जो ग्राहकों को इंटरेक्टिव शिक्षा, मांग पर डिजिटल सिनेमा, ओटीटी, टीवी चैनल और अन्य समाधान जैसे समाधानों तक पहुंच प्रदान करती है।
- 3. कंपनी पहले से ही दो प्रमुख साझेदारों टाटास्टूडी जादू को अपने साथ ला चुका है। इसके अलावा प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर कर रही है।
- 4. कंपनी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर सूचना और मनोरंजन तक विभिन्न समाधान देने के लिए 10,000 से अधिक डिजिटल सेवा भागीदारों के अपने विशाल नेटवर्क और पूरे भारत में 4500 से अधिक पिन कोड में उपस्थिति का लाभ उठाने की योजना बना रही है।

### टिप्पणी

- एनएक्सटी डिजिटल मीडिया ग्रुप की नयी पहल पारंपरिक एमएसओ की बढ़ती समझ को दर्शाती है, कि उन्हें खुदरा और उद्यम उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के बाद प्रासंगिक बने रहने के लिए ग्राहक उन्मुख सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला, दोनों विरासत और नये युग की तकनीकी की पेशकश करने की आवश्यकता है।
- ♣ सैटेलाइट ब्रॉडवैंड सेवाओं का मूल्य प्रति मनी मूल्य निर्धारण एक चुनौती होगी, लेकिन एक नयी घटना वस्तुओं और सेवाओं के प्रीमियमीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।आने वाले महीनों दिखाया जायेगा कि क्या यह दांव काम करता है।इस लेखक को लगता है कि यह करेगा।